


12/10 पत्रावली पोस्ट हुई / वकील अपीलान्त हाजिर  
नहीं आये। वकील अपीलान्त व अपीलान्त को  
बार बार जोरों से आवाजे लगायी गयी। आवाजे  
लगाने के बाद भी अपीलान्त नहीं आये। अतः पत्रावली  
इदम पेशी इदम हाजरी में शरिज की जाती है।  
निर्णय कुले न्यायलय में सुनाया गया / पत्रावली  
केस ला हुआ होकर दाखिलदफ्तर हो

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सुरतगढ़ 2.10.17